न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स नं. 02/2023

राज0सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर व हैसियत लैण्ड होल्डर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री पूरनमल पुत्र साधूराम जाति मीना निवासी झारौटी, तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भूराजस्व अधिनियम 1956 निरस्त करने आवंटन व नामान्तकरण आराजी खसरा नम्बर 14/0.01, 15/1.61 कुल रकवा 1.62 है0 बाके ग्रांम बाछरैन तहसील भुसावर जिला भरतपुर

उपस्थितः–

1–श्री पुष्पेन्द्र सिंह, राजकीय अभिभाषंक, प्रार्थी
2–श्री गोबिन्द सिंह डांगुर अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय दिनांक 7.02.2024

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है, आराजी खसरा नम्बर 14/01, 15/1.61 कुल रकवा 1.62 है0 बाके ग्रांम बाछरैन तहसील भुसावर में स्थित है जिसकी भूमि किस्म गै. मु. नदी है। आराजी का आंबटन दिनांक 11.12.1977 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी सुरेन्द्र/नाहर सिंह को किया गया है जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 609 दिनांक 19.7.78 दर्ज होकर तस्दीक होने पर अप्रार्थी को गैरखातेदार दर्ज किया गया है तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 3.12.82 से अप्रार्थी को खातेदारी दी गई है। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिबन्धानुसार एवं नियम 4 राज. भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंबटन नियम 1970 के तहत इस आराजी का

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आंवन्टन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवन्टन प्रारम्भ से ही शून्य है। जब आवन्टन ही शून्य है तो उसके प्रतिफल गैर खातेदारी व खातेदारी स्वतः ही शून्य हो जाती है तथा वर्तमान इन्द्राज शून्य योग्य है। धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 आज्ञापक है इसलिये इस प्रकार की भूमि का आवन्टन किस्म परिवर्तन करने के बाद भी नहीं हो सकता है। उक्त आवंटन नदी नाले आदि के सन् 1961 के बाद के हैं एवं भारत के उच्चतम न्यायालय के डीवी सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 के अनुसार अनियमित है जो काबिले खारिज है एवं निर्देशानुसार सन् 1961 की पूर्व स्थिति बहाल करना अनिवार्य है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि उक्त आवन्टन को निरस्त कराने के निमित्त राजस्व मण्डल अजमेर को अपनी सिफारिस सहित भिजवाने की कृपा करें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 14/01, 15/1.61 कुल रकबा 1.62 है0 वाके ग्रांम बाछरैन तहसील भुसावर में स्थित है जिसकी भूमि किस्म गै. मु. नदी है। आराजी का आंवटन दिनांक 11.12.1977 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 609 दिनांक 19.7.78 दर्ज होकर तस्दीक होने पर अप्रार्थी को गैरखातेदार दर्ज किया गया है तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 3.12.82 से अप्रार्थी को खातेदारी दी गई है। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिबन्धानुसार एवं नियम 4 राज. भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंबटन नियम 1970 के तहत इस आराजी का आंवन्टन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आवन्टन प्रारम्भ से ही शून्य है। रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 14/01, 15/1.61 कुल रकबा 1.62 है0 बाके ग्रांम बाछरैन किस्म गैर मुमकिन नदी नहीं है। रैफरेन्स में मूल आवंटी सुरेन्द्र सिंह पुत्र. नाहर सिंह को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है ऐसी सूरत में रेफरेन्स चलने योग्य नहीं रहता है। नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 3.12.82 से अप्रार्थी को खातेदारी प्राप्त नहीं हुई बल्कि मूल आवंटी सुरेन्द सिंह पुत्र नाहर सिंह को खातेदारी दी गई है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि मूल आवंटन किसी भी प्रकार से शून्य नहीं है मूल

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

आवंटन के विरुद्ध आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत अंन्तर्गत नियम 14(4) के तहत न तो किसी व्यक्ति के द्वारा और ना ही राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। अब रैफरेन्स के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। प्रार्थी आवंटन निरस्त कराने नहीं आये हैं बल्कि नामान्तकरण संख्या 609 एव 745 के खिलाफ रेफरेन्स किया है। मूल आवंटन, आंवटन आदेश के विरुद्ध ऐसी स्थिति में रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है क्यों कि रेफरेन्स में मूल आवंटन आदेश निरस्त नहीं हो सकता है। मूल आंवटन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गैर खातेदारी एवं खातेदारी नामान्तकरण संख्या 609 व 745 अगर निरस्त होते हैं तो मूल आवंटन एवं वाद के नामान्तकरण तो प्रभाव में रहेगें, इसलिए किसी भी प्रकार से नामान्तकरण संख्या 609, 745 निरस्त नहीं किया जा सकता है। मूल आंवटन सुरेन्द सिंह पुत्र नाहर सिंह को दिनांक 11.12.1977 को किया गया है उसके बाद नामान्तकरण संख्या 609 दिनांक 19.7.78 से गैरखातेदारी प्रदान की गई एवं उसके बाद नामान्तकरण संख्या 745 दिनांक 3.12.82 से खातेदारी प्रदान की गई। खातेदारी मिलने के बाद सुरेन्द्र सिंह ने मुसम्मात लाडवाई को दिनांक 3.12.82 को विक्रय किया विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 751 दिनांक 1.1.83 से लाडवाई खातेदार दर्ज हुई, लाडवाई बोनाफाइड परचेजर है, रैफरेन्स में मूल आवंटी को बिना पक्षकार बनाये चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी में कूप सूख जाने के कारण डीपबोर लगाया है उक्त डीप बोर में अप्रार्थी के नाम से विधुत कनैक्शन भी लिया हुआ है। साविक खसरा नम्बर 1 जिस के हाल खसरा नम्बर निर्मित किये गये है जिनमें ग्रेवल सड़क निर्माण मोरवादा बाछरैन एवं झारौटी को सड़क निर्माण किया गया है जो वर्तमान में लाडवाई धर्म पत्नी साधूराम जाति मीना की मृत्यु उपरान्त नामान्तकरण संख 2081 दिनांक 5.2.2016 से लाडवाई के वारिसान को खातेदारी प्राप्त हुई फिर उसके बाद हकत्याग से नामान्तकरण संख्या 2227 दिनांक 20.2.2017 से अप्रार्थी पूरनमल को खातेदारी प्राप्त हुई और तभी से अप्रार्थी पूरनमल राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है एवं काश्त करता आ रहा है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि रेफरेन्स में नामान्तकरण 609,745,751,2081, 2227 अलग अलग दिनांक को दर्ज हुऐ हैं एवं अलग तथ्यों पर आधारित है जिनमें से मात्र नामान्तकरण संख्या 609 745 को ही चैलेंज किया गया है और अन्य नामान्तकरण को चैलेंज नहीं किया गया, कानून के मुताविक संयुक्त रुप से नामान्तकरण संख्या 609, 745 को चैलेंज नहीं किया जा सकता है प्रत्येक नामान्तकरण की बाबत अलग–अलग रैफरेन्स किये जा सकते हैं इसलिए यह रैफरेन्स चलने योग्य नहीं है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में कानूनी बिन्दु का हवाला देते हुये बताया कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयाजनार्थ राजकीय भूमि का बावटन नियम 1970 के तहत सन् 1977 में आंवटन सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह को किया गया है गैर खातेदारी एवं खातेदारी नामान्तकरण ससंख्या 609 एवं 745 से दी गई उसके बाद विक्रय किया गया। खतेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है अपने तर्क के समर्थन में आरआरटी 2023(2) पेज 1218 के उक्त सिद्धान्त के पैरा नं. 9 में आरबीजे 2020 पेज 648 और आरआरटी 2003 पेज 921 और आरबीजे 2021 पेज 747, आरबीजे 2019 पेज 77, आरबीजे 2023 पेज 315 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। रेफरेन्स में केवल नामान्तकरण संख्या 609 व 745 को चैलेजं किया है अन्य नामान्तकरण को चैलेंज नहीं किया है विधि का यह सिद्धान्त है कि अलग अलग नामान्तकरणों का अलग अलग रेफरेन्स होगा संयुक्त रुप से सभी नामान्तकरण को चैलेन्ज नहीं किया सकता है इस सम्बन्ध हमारा ध्यान आरबीजे 1999 पेज 53 की ओर आकर्षित किया। आवंटन सन् 1977 में हुआ है आवंटन आदेश के बाद नामान्तकंरण हुए अब रेफरेन्स 46 साल बाद प्राप्त हुआ है। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में परिसीमा (लिमिटेशन) विहित नहीं है परंतु रैफरेन्स सम्यक समयावधि (रिजनेविल टाईम) में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसलिए इतनी देरी से प्रस्तुत रैफरन्सस चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी पर आवंटी ने काश्त किया है व विकास का कार्य किया है एवं अप्रार्थी की माता जी ने सन् 1982 में रकवा खरीद किया, बोरिंग लगवाया, बैंक से ऋण लिया, ऐसी सूरत में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है उन्होने हमारा ध्यान रुंलिग आरबीजे 2020 पेज 765 की आकर्षित करते कहा कि ऐसी सूरत में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अन्त में बताया कि मूल आवंटी सुरेन्द्र सिहं अथवा उसके वारिसान को उक्त रैफरेन्स में पक्षकार नहीं बनाया है जब कि नामान्तकरण संख्या 609 व 745 सुरेन्द्र सिंह को गैरखातेदारी एवं खातेदारी प्राप्त हुई है इसलिए उक्त रैफरेन्स मूल आवंटी को पक्षकार न बनाये जाने की सूरत में काबिल खारिज के है। साविक खसरा नम्बर 1 रकवा 267 बीघा 14 विस्वा था जिसमें 159 बीघा 19 विस्वा मकबूजा सरकार एवं 158 बीघा 19 विस्वा गैर मुमकिन नदी का रकवा है। मकबूजा सरकार की रकवा 159 बीघा 19 विस्वा में से आवंटन हुआ, आवंटन आदेश में गैर मुमकिन नदी अंकित नहीं है एवं गैरखातेदारी का इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 609 से जो हुआ है उसमें मकबूजा सरकार अंकित है न कि गैरमुमकिन नदी और सुरेन्द सिंह के अलावा 15 व्यक्तियों का आवंटन हुआ है और सभी की जिन्स

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

पैदावार गिरदावरी में अंकित है सम्वत् 2048 से 2071 से काश्त होना सावित है। सुरेन्द्र सिंह के अलावा और करीब 15 व्यक्तियों को आवंटन हुआ है किसी के भी विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न तो रैफरेन्स और न 14(4) नियमों के तहत कार्यवाही हुई है मात्र अप्रार्थी के विरुद्ध रंजिशवश साजिसान कार्यवाही हुई। योग्य अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में आरआरटी 2023(2) पेज 1218, आरवीजे 2019 पेज 77, आरबीजे 2023 पेज 315, आरबीजे 1999 पेज 53, आरबीजे 2005 पेज 435, आर.आर.टी 2019(1) पेज 622, डीएनजे 2023(रेवन्यू) पेज 1023, आरआरडी 2004 पेज 463, आरबीजे 1999 पेज 412, आरआरटी 2016(2) पेज 756एचसी, आरआरटी 2015(2) पेज 868, आरबीजे 2013पेज 262, आरआरटी 2017(1)पेज 182, आरवीजे 2017 पेज 76, आरआरडी 1985 पेज 17, आरआरडी 1977 पेज 673, आरआरडी 1996 पेज 525, आरबीजे 2020 पेज 765, कानूनी नजीर प्रस्तुत की गई तथा रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व कानूनी नजीरों का अध्ययन किया गया।

विचाराधीन रेफरेन्स में मुख्तः यह तय किया जाना है किः–

1– क्या विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1 ग्रांम बाछरेन की किस्म गैर मुमकिन नदी है ?

2– क्या मूल आवंटी को पक्षकार नहीं बनाया गया है ?

1 व 2 – पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज का अध्ययन किया गया। नामान्तकरण संख्या 609 तारीखी 19–7–78 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण के कालॅम नम्बर 2 (खसरा नम्बर) में साविक आराजी खसरा नम्बर 1 दर्ज है, कॉलम नम्बर 5 (कृषक का नाम) में मकबूजा सरकार दर्ज है, कॉलम नम्बर 6 (क्षेत्रफल) में "1मि. 10 वीघा" का अंकन हो रहा है, तथा कॉलम नम्बर 11 (कृषक नाम) में सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह जाट निवासी पथेना गैर खातेदार दर्ज है, कॉलम नम्बर 14 में एलाटमेन्ट का अंकन हो रहा है।

नामान्तकरणा संख्या 609 के कॉलम नम्बर 2 में खसरा नम्बर 1 अंकित है जब कि , कॉलम नम्बर 6 (क्षेत्रफल) में "1मि. 10 वीघा' का अंकन होने से यह जाहिर आता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 बड़ा रकवे का नम्बर है जिसमें

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

खसरा नम्बर 1 मिन में से 10 वीघा का आवंटन सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह जाट को किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का तारीखी 14.6.2022 में अकंन है कि–

> "....ख0न0 1/10 साविक जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0न0 रकवा 14/0.01, 15/1.61 वनाये गये है। ख0न0 1/10 रकवा 10 वीघा मुताविक आदेशानुसार दिनांक 11.12.1977 को श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति जाट निवासी पथैना को आंवटित होकर जरिये नाम0 सं0 609 दिनांक 19.7.78 को गैर खातेदारी प्रदान की गई है.....।"

तहसीलदार द्वारा सलंग्न की गई जमाबन्दी सम्वत् 2011 की प्रतिलिपि में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 का रकवा सुस्पष्ट नही है। जमाबन्दी सम्वत् 2031 ग्रांम वाछरेन में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 का रकवा 188 वीघा 14 बिस्वा दर्ज भूमि किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। यानि कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 का रकवा 188 वीघा 14 विस्वा है। जब कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2048–51 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 का क्षेत्रफल (रकवा) 267 वीघा 14 विस्वा कॉलम नम्बर 2 में दर्ज है, खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 में " मकबूजा सरकार 159 वीघा 19 बीघा एवं इसके नीचे 264 लाडवाई धर्म पत्नी साधूराम मीना 10 वीघा दर्ज है तथा अन्य के नाम इन्द्राजात हो रहे हैं.....।" इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2052–55 ग्रांम वाछरेन के कॉलम संख्या 1 खसरा नम्बर में आराजी खसरा नम्बर 1 दर्ज है, कॉलम संख्या 2 व 4 में रकवा 267 वीघा 14 बिस्वा का अंकन है तथा कॉलम संख्या –5 मकबूजा सरकार 159 वीघा 19 बिस्वा का अंकन हो रहा है। पत्रावली में उपलब्ध उक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 ग्रांम वाछरैन का गैर मुमकिन नदी के रकवा में विरोधाभाष है। जैसा कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 52–55 में कॉलम संख्या 2,3,4 में विवादित खसरा नम्बर का रकवा 267 वीघा 14 बिस्वा दर्ज है जिसमें 158 वीघा 19 बिस्वा गै.मु. नदी दर्ज किया हुआ है, दूसरी ओर जमाबन्दी सम्वत् 2031 ग्रांम वाछरेन में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 का रकवा 188 वीघा 14 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है । तहसीलदार भूमिधारी ने विचाराधीन रेफरेन्स में इस बाबत कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, रेफरेन्स प्रस्तुत करते समय अपनों कथनों को राजस्व रिकार्ड से सत्यापन होना आवश्यक है परन्तु यहाँ ऐसा नहीं है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का तारीखी 14.6.22 में साविक खसरा नम्बर 1/10 से नये खसरा नम्बर 14/0.01, 15/1.61 किता 2 रकवा 1.62 किस्म गैर मुमकिन नदी

.....7

जिला कलक्टर
भरतपुर

बनाये जाना अंकित किया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार ने साविक खसरा नम्बर 1/10 किस खसरा नम्बर का बटा नम्बर बनाया यह स्पष्ट नहीं किया है, जब कि विवादित साविक आराजी खसरा नम्बर 1 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात है। तहसीलदार ने रेफरेन्स में नये खसरा नम्बर 14/0.01, 15/1.61 किता 2 रकवा 1.62 का उल्लेख किया साविक खसरा नम्बर को भी दर्शाया जाना चाहिये था, क्यों कि जो आबंटन किया गया है वह मुताविक नामान्तकरण संख्या 609 के कॉलम नम्बर 2 में खसरा नम्बर 1 अंकित है जब कि , कॉलम नम्बर 6 (क्षेत्रफल) में "1मि. 10 वीघा' का है इस प्रकार यहॉ भी विरोधाभाष है। उक्त राजस्व अभिलेख से अप्रत्यक्ष रुप से यह स्पष्ट आता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर के रकवा में भूमि किस्म मकबूजा सरकार के रकवा में से मिन नम्बर बनाया जाकर आवंटन किया गया हो।

प्रस्तुत रेफरेन्स में मूल आंबटी सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह जाट निवासी पथैना था को भी तहसीलदार द्वारा पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, जो आवश्यक पक्षकार था। उक्त विवेचन से ऐसा लगता है कि तहसीलदार द्वारा यह रेफरेन्स बिना राजस्व रिकार्ड के जांच किये जल्द बाजी में पेश किया गया है। जिससे हम सहमत नहीं है, विचाराधीन रेफरेन्स चलने योग्य नहीं पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपर्युक्त विवेचनानुसार इन निर्देशों के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार भुसावर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 7.2.2024 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर